आवश्यक/पंचायत निर्वाचन, **2021**

संख्या-58/2020/2772/**33-3-2020-62/2020** टी0सी0

1. रायबरेली
2. बाराबंकी
3. ललितपुर
4. लखीमपुर खीरी
5. अलीगढ़
6. अम्बेडकर नगर
7. मैनपुरी
8. बलिया
9. उन्नाव
10. अयोध्या
11. जालौन
12. मऊ
13.मथुरा
14. प्रतापगढ़
15. रामपुर
16. संतकबीर नगर
17. सोनभद्र
18. कुशीनगर
19. बलरामपुर
20. बदायूँ
21. कानपुर देहात
22. शाहजहांपुर
23. आगरा
24. फिरोजाबाद
25. कौशाम्बी
26. जौनपुर
27. आजमगढ़
28. लखनऊ
29. फर्रूखाबाद
30. गोरखपुर
31. सहारनपुर
32. सुल्तानपुर
33. बस्ती
34. पीलीभीत
35. बहराइच
36. सिद्धार्थनगर
37. हाथरस
38. वाराणसी
39. सीतापुर
40. महराजगंज
41. फतेहपुर
42. प्रयागराज
43. गाजियाबाद
44. मेरठ
45. श्रावस्ती
46. हरदोई
47. बांदा
48. हमीरपुर
49. देवरिया

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

2. **जिलाधिकारी,**
पाश्र्वांकित जनपद।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **दिनांक 02 दिसम्बर**, 2020

विषय- वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त नगरीय निकायों के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद /नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित विकास खण्ड/विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डों) का आंशिक परिसीमन किया जाना आवश्यक है।

(1) वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों के सामान्य पुनर्गठन/परिसीमन के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन कराने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-385/33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के गठन हेतु शासनादेश संख्या-459/33-3- 2015-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 12 फरवरी, 2015 में दी गई व्यवस्थानुसार तत्समय त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन कराने के उपरान्त पंचायत निर्वाचन, 2015 सम्पन्न कराया गया।

(2) कालान्तर में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वर्तमान समय तक नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के फलस्वरूप आपके जनपद के कतिपय विकास खण्ड/विकास खण्डों की ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के उपरान्त प्रभावित हुई है। वर्ष 2021 में सम्पन्न होने वाले पंचायत निर्वाचन से पूर्व ऐसे विकास खण्ड/विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों का आंशिक परिसीमन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डों) के निर्धारण हेतु यद्यपि विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-385/33-3- 2014-03 रा.नि.आ./2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 में विद्यमान हैं। तथापि शासनादेश संख्या-2491/33-3-2014-03 रा.नि.आ./14, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के आंशिक पुनर्गठन की कार्यवाही अधिकांश जनपदों में की जा चुकी है। अगले चरण के रूप में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक निर्धारण वर्ष 2021 में पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अक्षरश: पूर्व निर्गत

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2015 के बिन्दु संख्या-1 से लेकर 10 तक उल्लिखित बिन्दुओं में दी गई व्यवस्थानुसार परिसीमन की कार्यवाही करायी जायेगी।

(3) त्रिस्तरीय पंचायतों के आंशिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निर्धारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आपत्तियां जिला पंचायत कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी। साथ ही निर्धारित अवधि में प्राप्त उपरोक्त समस्त स्तर की आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

(क) जिलाधिकारी — अध्यक्ष

(ख) मुख्य विकास अधिकारी — सदस्य

(ग) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत — सदस्य

(घ) जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य सचिव

(4) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आंशिक वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

(1)	ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना (2011 की जनसंख्या के आधार पर)	दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 से 11 दिसम्बर, 2020 तक
(2)	ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन	दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 से 21 दिसम्बर, 2020 तक
(3)	प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना	दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 से 26 दिसम्बर, 2020 तक
(4)	क्रमांक-3 पर आपत्तियों का निस्तारण	दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 से 02 जनवरी, 2021 तक
(5)	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 03 जनवरी, 2021 से 06 जनवरी, 2021 तक

(5) बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नगर विकास विभाग की अधिसूचनाओं के अनुसार जहां राजस्व ग्राम की आबादी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से विभाजित हुई है, वहां शेष ग्रामीण आबादी का श्रेणीवार (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) निर्धारण जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु उक्त समिति में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को भी समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) कृपया उपर्युक्त निर्देशों का विभिन्न संचार माध्यमों, यथा-समाचार-पत्रों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से नि:शुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर समस्त कार्यवाही समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 385/33-3-2014-03रा.नि.आ./2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 के साथ संलग्न रूपपत्र-1, 2 तथा 3 पर हार्डकॉपी

http://shasanadesh.up.gov.in

(सॉफ्टकॉपी एम.एस.एक्सेल पर सी.डी. सहित) दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक पंचायतीराज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराये जाने की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रभावित निकायों के वार्डों का परिसीमन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र., लखनऊ।

3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उत्तर प्रदेश।

6. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7. सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

8. सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in